मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 63 अक्टूबर, 2018 अंक 10 कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

इस समय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के किसान गंभीर कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं। यह सुनने में आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन छोड़ने की धमकी दी है। यदि यह सच है तो मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि अमेरिका का कृषि विभाग इस बारे में क्या महसूस करता होगा।

किन्तु में निजी रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा विश्व व्यापार संगठन को समाप्त करने के प्रयास का समर्थन करता हूँ। इसके अतिरिक्त मजबूत डॉलर और कमजोर होते भारतीय रूपये के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र पर बूरा प्रभाव पड़ेगा।

भारत अपनी मुद्रा को लेकर चिंतित है, किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका भी वर्ष 2050 में अपनी मुद्रा को प्रभावी नहीं देखता है, इस कारण वह भी चिंतित है।

हमारे देश में भी कई भ्रम और दुविधाऐं विद्यमान हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अनिश्चित समय तक पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे हजारों किसानों और पशु पालकों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। सरकार इसे यह सोचकर हल्के में नहीं ले सकती की इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।

सरकार को समर्थन देने वाले विद्वान और अकादमी के अन्य सदस्य तथा संबंधित मंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नोटबंदी, फूड़ पॉर्क, भूमि स्वास्थ्य कॉर्ड, ई–नेम और रोजगार उपलब्ध कराने को सफलता के रूप में देख सकते हैं।

किन्तु तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने और माननीय प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। इन सब कमियों के होने के बावजूद भी मैं अत्यंत आशावादी हूँ कि यदि प्रधानमंत्री चाहें तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।

भारतीय किसान इस बात से दुविधा में और हैरान हैं कि किसी महत्वपूर्ण किसान संबंधी निर्णय अथवा योजना की घोषणा के समय कृषि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री

अनुपस्थित क्यों होते हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक में हाल ही में हुई एक बैठक में एक प्रश्न उठाया गया कि कृषि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के बारे में 'प्रधानमंत्री को क्यों कोई कुछ नहीं बताता' ?

– अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत की सामूहिक चेतना को जागृत करते किसान

* श्री नरेश मिनोचा

कृषि संकट की कई ऐसी घटनाऐं मौजूद हैं जिनका अध्ययन किया गया और उनकी रिपोर्ट को नौकरशाही ढंग से निपटा दिया गया। ऐसा ही एक मामला वर्ष 1970 में गृह–मंत्रालय द्वारा तैयार 'वर्तमान कृषि असंतोष के कारण और प्रकृति' के दस्तावेज का है। इन दस्तावेजों में कई सुधार और भूमि कानून लागू करने की कई सिफारिशें की गई थीं। इसे राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में भी भेजा गया था।

मई 1970 में इस विषय पर पूछे गऐ एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा 'भूमि राज्यों के क्षेत्राधिकार में है, इस कारण केन्द्रीय सरकार का कार्य राज्यों को कार्यवाही करने का परामर्श देना और उनसे अनुरोध करना है, और सरकार ने ऐसा कर दिया है'।

कृषि का कोई भी विधार्थी इस बात पर सहमत होगा कि समाधानों का अभाव नहीं है, ये समाधान विभिन्न आयोगों/विशेषज्ञ समितियों की नीति घोषणाओं और रिर्पोटों में स्पष्ट नजर आते हैं। मूल समस्या यह है कि किसानों के लाभ के लिऐ इस क्षेत्र में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती अथवा अपर्याप्त प्रयांस किऐ जाते हैं।

यदि सरकार जनवरी 1946 के दौरान तैयार की गई अपनी प्रथम नीति पर ही पूरे जोश से कार्य किया होता तो भारतीय कृषि अधिक समृद्धशाली, लाभकारी और समावेशी होती। 'भारत में कृषि और खाद्य नीति का विवरण' नामक शीर्षक में इस नीति के दस उद्देश्य थे। इनमें से एक था, उत्पादक के लिऐ लाभकारी मूल्य और कृषि मजदूरों को उचित वेतन।

जहां राज्यसभा के सत्र में एक सदस्य के प्रस्ताव का उल्लेख करना उचित होगा की कृषि समस्याओं को जानने के लिऐ सरकार द्वारा वर्ष 1926–28 के कृषि संबंधी रॉयल कमीशन की पद्धति पर एक कृषि आयोग गठित किया जाऐ।

6 मार्च, 1964 को इस प्रस्ताव पर बोलते हुऐ तमिलनाडु के एक सांसद टी.एस. अविनाशी लिंगम चैतियार ने टिप्पणी की 'हमारे पास कई आयोग हैं। उन्होंने (एन. श्री रामा रेड्डी, प्रस्ताव प्रस्तुत

करने वाले) इन आयोगों के नामों का भी उल्लेख किया। जो हम चाहते हैं वही बात उन्होंने भी कही – कार्यवाही करने के लिऐ कदम उठाऐ जाऐं'।

उन्होंने आगे कहा 'हमारे पास दर्जनों की संख्या में सिफारिशें हैं, जिन्हें फोर्ड फाऊँडेशन, खाद्यान्न जांच समिति, नालागढ़ समिति, इंडो–अमेरिका समिति और भी कई अन्यों के द्वारा की गई सिफारिशों में लगभग वही बातें दोहराई गई – सिंचाई का विस्तार, बेहतर बीजों के उत्पादन हेतु बीजों की खेती, उर्वरक, रसायन और जैविक पदार्थों का उपयोग, अच्छे औजार, बेहतर जल–प्रबंधन, पौधशाला का संरक्षण और कीटनाशकों का उपयोग, भूसंरक्षण, कारगर विस्तार सेवा और इन सबसे बढ़कर किसानों के लिऐ लाभकारी मूल्य।

यदि हम अभी तक इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि या प्रगति नहीं कर पाऐ तो ऐसा नहीं की सिफारिशों में कहीं कोई कमी थी, बल्कि इन सिफारिशों को लागू न करना मुख्य कारण है'।

लगभग 53 वर्ष के पश्चात, टी.एस. अविनाशी लिंगम चैतियार की टिप्पणी और सुझाव के संबंध में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। उन्होंने नीति आयोग के उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के पैनल का एक सदस्य बनना था, इस संबंध में उन्होंने कहा 'मुझे नहीं मालूम की इस नवगठित समूह की सिफारिशों को कितना महत्व दिया जाऐगा, क्योंकि नई सरकार द्वारा कृषि खाद्य क्षेत्र के संबंध में बनाई गई विभिन्न समितियों की चार प्रमुख रिपोर्ट सरकार को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और इस पर क्या कार्यवाही हुई'।

उन्होंने इकोनोमिक टाइम्स को अलग से कहा: 'सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है न कि केवल सुझाव लेते रहने की। पिछले कुछ महिनों में ही सरकार को कई सुझाव भेजे जा चुके हैं, इसके पश्चात भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे यह नजर आता है कि वास्तव में जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं कमी है'।

विशेषज्ञ पैनलों की नीतियों और सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के स्थान पर आने वाली सरकारें नऐ–नऐ वादे और योजनाऐं घोषित करती हैं, एवम् नऐ स्लोगन सुनने को मिलते हैं। मोदी सरकार ने भी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान करने के लिऐ कई समितियों का गठन किया है।

इनमें सबसे उल्लेखनीय किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति है। अभी तक इस समिति ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति संबंधी अपनी रिपोर्ट के 13 खंड प्रकाशित कर दिऐ हैं। व्यापक नीति सिफारिशों पर 14वा और अंतिम खंड अभी जारी होना बाकी है।

वर्ष 2019 के आम चुनाव में अभी लगभग 9 महीने बाकी हैं, तो सरकार के पास अभी भी अवसर है कि वह किसानों के लिऐ एक ऐसे बड़े पैकेज की घोषणा करने पर विचार करे, जो किसी भी सरकार ने कृषि के संपूर्ण विकास के लिऐ सोचा न हो। यहां यह ध्यान अवश्य देना होगा की इस पैकेज का केन्द्र बिंदु और पूरा ध्यान किसानों और कृषि मजदूरों पर होना चाहिऐ।

* भारतीय कृषि के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

वाह रे ! तथाकथित 'अन्नदाता'

* श्री के.के. अग्रवाल

'अन्नदाता' किसान – कभी कभी जब कानों में सुनाई पड़ता है तो मानों ऐसा लगता है कोई उस पर तंज कस रहा है, कोई उसका मजाक/माखोल उड़ा रहा है। यह विडंबना ही है कि हम उसे 'अन्नदाता' कहने का दिखावा तो करते हैं परंतु कभी भी हमने उसे हृदय से अन्नदाता स्वीकार नहीं किया।

कभी उत्तम खेती–मध्यम व्यापार, निकृष्ठ नौकरी........वाली कहावत चरितार्थ थी, और वह अपने को किसान कहलवाने में गर्व महसूस करता था। 'मैं किसान हूँ' कह कर उसका सीना चौड़ा होता था, पर क्या हुआ अब। उसे किसान के रूप में अपना परिचय देने में भी शर्म महसूस होती है।

लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, बड़े हल्के में लेते हैं। यही नहीं, उस परिवार में तो अब कोई अपनी लड़की भी नहीं देना चाहता। युवा खेती की ओर देखना तो दूर उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। यह दशा क्यों हुई ? कैसे हुई ? क्या कभी हमने विचार किया। तकनीकी इतनी विकसित हुई। किसानों ने मेहनत की। हम अनाज बाहर से मंगाते थे, अब अन्न के भण्डार भरे पड़े हैं। उत्पादन बेतहासा बढ़ा। सरकार को अनाज खरीदकर भण्डारण करने की समस्या से दो–चार होना पड़ रहा है। फिर भी किसान वहीं का वहीं।

क्या कभी उसकी दशा सुधर पायेगी ? क्या वह भी कभी ट्रेन के ए.सी. में या हवाई जहाज में यात्रा करने की अपनी इच्छा, अपना सपना पूरा कर पायेगा ? क्या उसके बच्चे भी कभी उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु विदेश जा पायेंगे ? तीन या पाँच सितारा की कल्पना वह क्या कभी साकार का पा सकेगा ? पर उसकी कल्पना को साकार होता देखना कौन चाहता है, अरे भाई वह किसान है, किसान ही रहे, यह सब उवकी नसीब में क्यों होना चाहिए। ये नसीब तो उद्योगपतियों, व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के हिस्से में आया है।

किसान यदि आज अच्छे कपड़े पहन रहा होता है, चार चके की गाड़ी में आ जा रहा होता है, अच्छे मकान में रह रहा होता है तो लोगों की नजर में खटक जाता है। हम अभी भी उसे

लंगोट व धोती तथा बंडीधारी की छवि में ही उसका आंकलन करते हैं, देखते हैं, व देखना चाहते हैं।

अरे अन्नदाता तो 'दाता' है न। यदि आप इसे हृदय से स्वीकारते हों तो, वह हमें अन्न देकर जीवन देता है। वह जीवन दाता है कहें तो अतिषयोक्ति न होगी। पर देने वाला तो हमेशा सम्पन्न और समृद्ध होता है, इससे भी कहीं ज्यादा, हमसे भी कहीं बड़ा, तभी तो वह दे पाता है। अरे जीवनदाता यानी "भगवान" उसकी तो पूजा होती है, सब उसके सामने नतमस्तक होते है। पर ऐसा यहां है नहीं, इसका उल्टा है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, हम उसे दिल से अन्नदाता नहीं मानते। वह तो 'तथाकथित अन्नदाता' है। यहां लेने वाला देने वाले पर भारी है। लेने वाला, देने वाले से अधिक समृद्धशाली है। यह विडम्बना ही है।

कुछ लोग मानते हैं कि किसानों की मांगें आचित्यहीन हैं। बेबुनियाद, पक्षपात पूर्ण है, अभिनत हैं। कुछ ज्यादा है, सरकार किसानों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, उन्हें तो खूब दिया जा रहा है। सरकार का खजाना, किसानों के लिये कुछ ज्यादा ही खुल गया है, यदि ऐसा है तो इन महानुभावों से निवेदन है कि वे कारण बतायें, कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी किसानों की आय जस की तस क्यों है।

नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन सालों में किसानों की आय में केवल 0.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जो नगन्य की श्रेणी में है। जबकि अन्यों की आय में 25 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

ऐसा क्यों ? किसान क्यों "किसान" की पहचान नहीं रखना चाहते। किसान क्यों खेती छोड़ना चाह रहें है ? युवा दूर क्यों भाग रहें है ? आत्म हत्यायें क्यों कम नहीं हो रही है ? खेती की रकवे में अप्रत्याशित कमी क्यों आ रही है ?

बड़ी हैरानी व पीड़ा होती है जब कुछ लोग, हम फिर से कह रहे हैं सभी नहीं, केवल कुछ, बुद्धजीवी, बड़े ओंहदों में बैठे लोग, उच्च अधिकारी, नेता, नीति निर्धारक, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, क्यारियों व प्रयोगशालाओं में प्रयोग व खेती करके बड़ी–बड़ी उपाधि व सम्मान, मेडल तथा ख्याति पाने वाले लोग जिन्होंने शायद ही कभी खेतों में हल चलाया हो, किसानों की दिशा व दशा पर कुछ परे, विरोधाभाषी बयान देते हैं, बड़े–बड़े लेख लिखते हैं, उन्हें किसानों की समृद्धि रास नहीं आती। सरकार को गुमराह करते हैं। क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि जो उसे मिल रहा है उससे तो उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही। क्या कभी उन्होंने किसानों की वास्तविक लागत व उसकी आमदनी का गुणाभाग लगाने की जहमत उठाई ?

"जिनके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई" उनसे निवेदन है कि पहले वे केवल 15 दिन कड़कड़ाती ठंड की अंधेरी रातों में, कीड़े–मकोड़े के बीच खेतों में पानी चलाकर, चिलचिलाती धूप में 42 डिग्री तापमान पर कटाई–गहाई में बिताऐं। एक माह गांव के घरों में रहकर, गलियों

में घूमकर, वहां का खाना खाएं, पानी पिये और बिना बीमार हुये वापिस आयें, तब फिर अपने विचार रखें तो किसानों को ग्राह्ययोग्य होगा।

अब हमें सोचना होगा कि क्यों न हो देने वाला हम सबसे अधिक सम्पन्न। यदि अन्नदाता समश्द्ध, सम्पन्न व सुखी होगा तो वह हमें अन्न (जीवन) के साथ अपनी दुआयें भी देगा। देखें तो, एक चमत्कार होगा और हम सब सुखी व सम्पन्न होंगे। अतः संकल्प लें कि उसे समृद्ध बनाने के हर कदम, हर कार्य को एक यज्ञ मानकर उसमें हमें हाथ बटाना है। यज्ञ में अपनी एक आहूति अवश्य देनी है। और यदि वह भी हम न कर सकें तो कम से कम इस यज्ञ को सम्पन्न कराने के कार्यों व प्रयासों में बाधक भी हम न बनें। यदि हमारी उनके प्रति थोड़ी बहुत भी सहानुभूति हो गई, तो यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

---

* गवर्निंग बॉडी सदस्य, भारत कृषक समाज

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारत के खाद्य प्रसंसाधन आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना

पी.आर.एस. लेजिसलेटिव रिसर्च

पिछले वर्ष मई में कई समाचार पत्रों में टमाटर, आम और लहसून के मूल्य कम हुऐ और किसानों को इनकी बिक्री में नुकसान हुआ। कुछ मामलों में किसानों ने अपने उत्पाद को सड़कों पर फेंक दिया। पर्याप्त भंडारण सुविधाऐं न होने के कारण किसानों को इन जल्दी सड़ने वाली सब्जियों को हानि पर ही बेचना पड़ा क्योंकि उनके पास परिवहन का किराया देने के लिऐ भी पैसे नहीं थे।

खाद्य–प्रसंस्करण से ऐसी वस्तुओं को भंडारित करके बाद में बेचा जा सकता है और इन्हीं फल और सब्जियों को जूस, जैम और अचार बनाकर भी बेचा जा सकता है। इसी उद्योग में इन्हें पकाने के लिऐ और संरक्षित करने के लिऐ वैक्सिंग, पैकेजिंग और लेबल करने जैसे कार्य भी शामिल हैं। वर्ष 2001–02 और 2016–17 के बीच अनाज का उत्पादन 1.7 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा जबकि बागवानी फसलों का उत्पादन 4.8 प्रतिशत बढ़ा। उत्पादन ज्यादा होने के कारण और अच्छी खरीद, भंडारण और प्रसंसाधन जैसी शीत–भंडारण और खाद्य–प्रसंसाधन युनिट की कमी से अत्यधिक क्षति पहुंची। वर्ष 2015 में फलों और सब्जियों की फसलों की हानि 7–16 प्रतिशत और अनाज की लगभग 5 प्रतिशत हानि हुई। अनाज की तुलना में फल और सब्जियां अधिक हानि देने वाली होती हैं, क्योंकि इन्हें भंडारित नहीं किया जा सकता। अनुमान है कि वर्ष 2015 में मुख्य कृषि फसलों के उत्पादों की कुल फसल और फसल के बाद होने वाली वार्षिक हानि लगभग रू. 92,651/– करोड़ थी। कृषि संबंधी स्थाई समिति का कहना है कि पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध कराकर इस हानि से बचा जा सकता है।

किसानों के खेतों के पास अथवा कहीं नजदीक प्रसंसाधन की सुविधाऐं न होने से उन्हें अपनी फसलों को हानि पर बेचना पडता है, चाहे बाजार में वे महंगे दामों में बिके। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाऐं जैसे कोल्ड–चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर और मार्किट लिंकेज को मजबूत किया जाऐ। कोल्ड–चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंसाधन युनिट, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटिड वैन शामिल हैं। शीत भंडार को अन्य ढुलाई जैसी सुविधाऐं उपलब्ध कराने से दूर–दूर के क्षेत्र में इनकी बिक्री करने पर किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। भारत में बढ़ी संख्या में कोल्ड–स्टोरेज हैं किंतु इससे संबंधित अन्य सहायक मूल सुविधाऐं और ढांचा उपलब्ध नहीं है। भारत में 32 मिलियन टन की शीत भंडार क्षमता उपलब्ध है, लेकिन वहां से रेफ्रिजरेटिड वैन जैसे परिवहन की उपलब्धता 15 प्रतिशत है।

फसल आने के बाद होने वाली हानि को कम करने के लिऐ स्थाई समिति (2017) ने सिफारिश की है कि देश के राज्यों में जिला और ब्लॉक स्तर पर एक समेकित कोल्ड–चेन ढांचे का नेटवर्क तैयार किया जाऐ। उसकी यह भी सिफारिश है कि किसानों को फसलों का मूल्य बढ़ाने के लिऐ उत्पाद की छटाई, ग्रेडिंग और प्रीकूलिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाऐ ताकि वे अपनी फसलों से अधिक आय प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2008 और 2017 के बीच 238 कोल्ड–चेन की परियोजनाऐं स्वीकार की गई, जिनके लिऐ रू. 1,775/– करोड़ भी स्वीकार किऐ गऐ। कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 114 (48 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं और शेष 124 पर कार्य चल रहा है। वर्तमान में मुख्य अनाज और कुछ मात्रा में चाय, आलू और प्याज का लदान रेलवे द्वारा किया जाता है। समिति ने सिफारिश की है कि इन ताजे फल सब्जियों को सीधा निर्यात केन्द्रों तक पहुंचाने के लिऐ रेलवे अपने ढलान वाहनों के ढांचे को उन्नत बनाऐ।

मार्च 2018 तक अनुमोदित 42 परियोजनाओं में से 10 में काम आरंभ हो चुका है। कृषि संबंधी स्थाई समिति ने ऐसी परियोजनाओं के लागू होने में विलंब के कई कारण बताऐ। इनमें प्रमुख हैं – 1. ऐसी परियोजना के लिऐ बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई, 2. सडक, बिजली और जल की परियोजना स्थल पर व्यवस्था करने के लिऐ राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों की स्वीकृति मिलने में देरी, 3. मेगा पॉर्कों में आहार प्रसंसाधन एकक लगाने के लिऐ विशेष प्रोत्साहन देने की कमी और, 4. को–प्रोमोटर्स द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अपने अंश को देने पर असहमत होना।

यदि इन सुझावों को सही प्रकार से लागू किया जाऐ तो देश में खाद्य प्रसंसाधन ढांचागत सुविधाओं में काफी सुधार किया जा सकता है। बढी मात्रा में खाद्य प्रसंसाधन ढांचागत सुविधाऐं उपलब्ध होने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर और उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा और वे अपनी फसलों और अन्य उत्पादों को हानि पर बेचने से भी बचेंगे।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0